


(232)

(356)

न्यायालय श्रीमान् रेड्यू लोर्ड रीवा तंत्राय रीवा व.पु.

R.1716-१११२



रमेश द्वारा तिवारी तथा श्री उद्धीगा राधण देवतारी, निवासी ग्राम
विदुरी ईसोडागी लकड़ील त्पोधर, जिला रीवा व.पु.---नियरानीका

बताम

R.1716-१११२ राष्ट्रिया वमा पिला रमाईकर वमा, निवासी ग्राम विहरी, तट त्पोधर
पिला रीवा व.पु.

अधिकारी अमरेन्द्र सिंह
झार उत्तरा
रीवा, दिनांक 16.5.2012

*Amrit
16/5/12*

56/12

नियरानी विस्त श्रीमान् लकड़ील
रीवा, जिला रीवा व.पु. रा.पु.फ.
२२ अ-१२/०७-१० भादेश पा एस दिनांक

००.०५.२०१२

नियरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५०
व.पु. क्ष.रा. सोन्ता ज्य. १९५९ ई.

भारत,

नियरानी के आधार नियमोंत्तिका है :-

०१- यह नियम आधार न्यायालय द्वारा पारित भादेश दिनांक ०५.१२
विविध रूप स्थाय पुस्तिका के प्रियरीत होने से विरस्त किये जाने पर्याप्त है।

०२- यह नियम नियरानी द्वारा न्यायालय राज्यीकरण।

त्पोधर के सम्म अनी भूमियों का तीव्रांत कराये जाने देहु सीमांचल
विविध रूप स्थाय पुस्तिका का, जिसे पर्याप्त बदल दरते हुए आ.क.१२, ५७,

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे पर्याप्त बदल दरते हुए आ.क.१२, ५७,

५७/१ रूप ५८/१ की भूमियों ते लगी हुई भूमिस्त्वा की ले सूचना पत्र तावीत

16/5/12

लम्बाः ०२/१

२२/५/१२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

क्रमांक R. 1716 - दो. 112 जिला - राय

रमेश कुमार तिथी विलद्ध राम सिंह वर्मा

(1)	(2)	(3)
१७-१-१९	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अमेन्ड्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लेक्टर/ अपर क्लेक्टर, जिला राय के प्रकरण क्रमांक 122/अ-12/विरा/६९०. में पारित आदेश दिनांक ४-५.१.२ के विलद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ६. ३. १९ को कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	

तथा पर के तमस्त अन्ना भूमिया का तामाळ कराये जान इत्तु सोगळन

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे पंडीबुद्ध जरते हुए आ.क्र. 92, 57,

59/। रव 5/। की भूमिया ते लगी हुई भूमिस्था मी को सूखना पत्र तामीत

16/1/2019

लग्ना ००२१

रमेश कुमार